लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3748
उत्तर देने की तारीखः 16.07.2019

वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण

3748. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री राहुल रमेश शेवलेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्यों के प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रमों की स्थापना और अनुरक्षण का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) देश में आज की तिथि के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने वृद्ध व्यक्ति हैं;
(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण हेतु कौनसी केंद्र प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और आज की तिथि के अनुसार इन योजनाओं/कार्यक्रमों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना/कार्यक्रम-वार कितने लाभार्थी हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): इस मंत्रालय ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 19 के अंतर्गत निम्नलिखित कहा गया है :-

(i) राज्य सरकार, ऐसी पहुंच के भीतर के स्थानों पर, चरणबद्ध रीति में, उतने वृद्धाश्रम स्थापित करेगी और उनका अनुरक्षण करेगी, जितने वह आवश्यक समझे और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना करेगी, जिसमें न्यूनतम एक सौ पचास ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आवास सुविधा दी जा सके, जो निर्धन हैं।
(ii) राज्य सरकार, वृद्धाश्रमों के प्रबंध की एक स्कीम विहित करेगी, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं, जो ऐसे आश्रमों के निवासियों को चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हैं।

(ग): जनगणना 2011 के अनुसार, देश में वृद्धजनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): यह मंत्रालय एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए

वरिष्ठ नागरिक गृहों/सतत देखभाल गृहों/फिजियोथैरेपी क्लिनिकों/मोबाइल मेडिकेयर यूनिटों आदि को संचालित करने तथा उनका रखरखाव करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) संबंधी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

यह मंत्रालय "राष्ट्रीय वयोश्री योजना" (आरवीवाई) नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण जैसे छड़ी, ट्राइपॉड्स, क्वाडपॉड्स, वॉकर्स, कृत्रिम दांत, श्रवण यंत्र, चश्मे आदि निःशुल्क दिए जाते हैं। आरवीवाई योजना के लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ.): वृद्धजनों के कल्याण और सुरक्षा के लिए चलाई जा रही अन्य मुख्य योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुबंध।

जनगणना 2011 के अनुसार, वृद्ध जनसंख्या (60+) का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लगभग)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8278241	3906328	4371913
2.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	25424	14189	11235
3.	अरुणाचल प्रदेश	63639	33189	30450
4.	असम	2078544	1054817	1023727
5.	बिहार	7707145	4106593	3600552
6.	चंडीगढ़	67078	34833	32245
7.	छत्तीसगढ़	2003909	928159	1075750
8.	दादरा और नागर हवेली	13892	6359	7533
9.	दमन और दीव	11361	4873	6488
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1147445	576755	570690
11.	गोवा	163495	74315	89180
12.	गुजरात	4786559	2245601	2540958
13.	हरियाणा	2193755	1088621	1105134
14.	हिमाचल प्रदेश	703009	340875	362134
15.	जम्मू और कश्मीर	922656	482580	440076
16.	झारखंड	2356678	1181745	1174933
17.	कर्नाटक	5791032	2747072	3043960
18.	केरल	4193393	1883595	2309798
19.	लक्षद्वीप	5270	2674	2596
20.	मध्य प्रदेश	5713316	2769556	2943760
21.	महाराष्ट्र	11106935	5253709	5853226
22.	मणिपुर	187694	93137	94557
23.	मेघालय	138902	66939	71963
24.	मिजोरम	68628	34345	34283
25.	नागालैंड	102726	54779	47947
26.	ओडिशा	3984448	1994270	1990178
27.	पुडुचेरी	120436	53419	67017
28.	पंजाब	2865817	1443662	1422155
29.	राजस्थान	5112138	2432263	2679875
30.	सिक्किम	40752	22472	18280
31.	तमिलनाडु	7509758	3661226	3848532
32.	त्रिपुरा	289544	141920	147624
33.	उत्तर प्रदेश	15439904	8037133	7402771
34.	उत्तराखंड	900809	441897	458912
35.	पश्चिम बंगाल	7742382	3851314	3891068
	कुल	**103836714**	**51065214**	**52771500**

अनुबंध-II

दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध।

योजना का नाम : एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19	2019-20 (11.07.2019 तक उपलब्ध)
		लाभार्थी	लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	6295	875
2	बिहार	150	0
3	छत्तीसगढ़	25	25
4	गोवा	0	0
5	गुजरात	250	25
6	हरियाणा	600	50
7	हिमाचल प्रदेश	400	0
8	जम्मू और कश्मीर	0	0
9	झारखंड	0	0
10	कर्नाटक	1495	600
11	केरल	200	50
12	मध्य प्रदेश	450	100
13	महाराष्ट्र	3005	475
14	ओडिशा	5120	350
15	पंजाब	295	25
16	राजस्थान	50	50
17	तमिलनाडु	3075	425
18	तेलंगाना	1000	200
19	उत्तर प्रदेश	395	175
20	उत्तराखंड	175	0
21	पश्चिम बंगाल	2750	100
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
23	चंडीगढ़	0	0
24	दादरा और नागर हवेली	0	0
25	दमन और दीव	0	0
26	लक्षद्वीप	0	0
27	दिल्ली	0	50
28	पुडुचेरी	25	25
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0
30	असम	6295	25
31	मणिपुर	2770	475
32	मेघालय	0	0
33	मिजोरम	0	0
34	नागालैंड	25	25
35	सिक्किम	0	0
36	त्रिपुरा	75	0
कुल		34920	4125

अनुबंध-III

[दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित अनुबंध]

06.07.2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	342
2	आंध्र प्रदेश	5396
3	अरुणाचल प्रदेश	384
4	असम	0
5	बिहार	1926
6	चंडीगढ़	0
7	छतीसगढ़	711
8	दादर और नागर हवेली	0
9	दमन और दीव	0
10	दिल्ली	3451
11	गोवा	2407
12	गुजरात	4166
13	हरियाणा	2174
14	हिमाचल प्रदेश	194
15	जम्मू और कश्मीर	0
16	झारखंड	1860
17	कर्नाटक	1320
18	केरल	962
19	लक्षद्वीप	528
20	मध्य प्रदेश	15004
21	महाराष्ट्र	21527
22	मणिपुर	0
23	मेघालय	7291
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	2661
26	ओडिशा	0
27	पुडुचेरी	1529
28	पंजाब	1434
29	राजस्थान	6917
30	सिक्किम	1814
31	तमिलनाडु	1415
32	तेलंगाना	1473
33	त्रिपुरा	795
34	उत्तराखंड	2637
35	उत्तर प्रदेश	10173
36	पश्चिम बंगाल	0
कुल		100491

अनुबंध-IV

[दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 के उत्तर के भाग (ड.) में संदर्भित अनुबंध]

गृह मंत्रालय

1. गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो विस्तृत सलाह पत्र जारी किए हैं जिसमें उन्हें वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करने, वृद्धजनों की **सुरक्षा और संरक्षा** के संबंध में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही करने, बीट स्टॉफ के नियमित दौरा, टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्प लाइन की स्थापना, वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना, घरेलू सहायता, ड्राइवरों आदि का सत्यापन जैसी पहलों के माध्यम से वृद्धजनों की उपेक्षा, दुर्व्यहार और हिंसा के सभी रूपों का उन्मूलन करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना है। एनएसएपी एक समाज सुरक्षा/समाज कल्याण कार्यक्रम है जो वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्राथमिक कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु पर ऐसे पीड़ित परिवारों पर लागू है। वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे रहने वाले परिवारों को **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** के अंतर्गत दी जाती है। 60-79 आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 रुपये और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान, लाभ की स्वीकृति एवं वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

3. भारत सरकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, आउटरीच सेवा सहित, हेतु राज्य स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदायगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए वित वर्ष 2010-11 से **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)** को कार्यान्वित कर रही है।

राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के दो घटक हैं जिनमें देश के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(क) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटक** - कार्यक्रम की जिला और निम्न गतिविधियों को एनएचएम की असंक्रमणीय रोग (एनसीडी) फ्लेक्सीबल पूल के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है जो निम्नलिखित हैं:

- जिला अस्पतालों में जरा-चिकित्सा ओपीडी और 10 बिस्तर वाला जरा-चिकित्सा वार्ड।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में सप्ताह में दो बार जरा-चिकित्सा क्लीनिक।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में साप्ताहिक जरा-चिकित्सा क्लीनिक।
- उप-केंद्रों में शारीरिक सहायक यंत्रों एवं जीवन सहायक उपकरणों की व्यवस्था।

इस कार्यक्रम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) और एनपीएचसीई के प्रावधानों के अंतर्गत उसकी व्यवहारिता के आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। आज की तारीख तक कार्यक्रम की जिला और निम्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 599 जिलों को अनुमोदित किया गया है।

(ख) **तृतीयक घटक:** इस कार्यक्रम के एनएचएम घटक के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जरा-चिकित्सा देखभाल के प्रति मानव संसाधन सृजित करने हेतु प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त रेफरेल की स्थिति अनुकूल नहीं हैं, यह मंत्रालय 19 क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) के विकास में सहायता देने और एम्स, नई दिल्ली और एमएमसी चेन्नै में दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र स्थापित करने, जिनमें जरा-चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हैं, की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रहा है:

- जरा-चिकित्सा ओपीडी, अंतरंग मरीजों की देखभाल के लिए आरजीसी की दर पर 30 बिस्तर वाला जरा-चिकित्सा वार्ड और एनसीए की दर पर 200 बिस्तर वाला जरा चिकित्सा वार्ड।
- जरा-चिकित्सा में आरजीसी के लिए दो पीजी सीटें और एनसीए के लिए 15 पीजी सीटें।
- अनुसंधान संबंधी गतिविधियां, प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

रेल मंत्रालय

4. भारतीय रेल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) नियमों के अनुसार न्यूनतम 60 वर्ष के पुरूष वरिष्ठ नागरिकों तथा न्यूनतम 58 वर्ष की महिला वरिष्ठ नागरिकों को रेलगाड़ियों के मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी/दुरंतों सभी श्रेणियों में **मूल किराए में छूट** प्रदान की जाती है। छूट की दर पुरूषों के लिए 40 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत है।

टिकट खरीदते समय आयु के किसी प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं होती। तथापि, उन्हें यथा निर्धारित अपनी आयु/जन्मतिथि को दर्शाने वाले कुछ दस्तावेजी प्रमाण पत्र पास रखने होते हैं तथा टिकट चैंकिंग स्टॉफ के मांगने पर इसे दिखाना होता है। वरिष्ठ नागरिक आरक्षण काउंटर के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से भी आरक्षित टिकटें बुक कर सकते हैं।

(ii) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों के लिए यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया है तो बुकिंग के समय बर्थ की उपलब्धता के आधार पर स्वत: **लोअर बर्थ आबंटित** करने का प्रावधान है।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों, के लिए विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केन्द्रों पर अलग से कांउटर निर्धारित हैं।

वित्त मंत्रालय:

5. वित्त मंत्रालय ने बाजार की अनिश्चित स्थितियों के कारण 60 वर्ष या अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट को रोकने, इसके साथ-साथ वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना'** नामक एक योजना आरंभ की है। यह योजना **भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)** के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में दस वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से मासिक रूप से अदा किए जाने योग्य आश्वासित आय का प्रावधान है।

6. इसके अलावा, वित्त मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए **आयकर दरों में छूट** की व्यवस्था करता है। 60 वर्ष से अधिक और इससे अधिक आयु 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख रुपए तक की आय पर छूट प्राप्त है। 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के बीच की आय पर केवल 5% आयकर वसूला जाता है। 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 5,00,000/- रुपये तक की आय पर छूट प्राप्त है। विनिर्दिष्ट बीमारियों के संबंध में व्यय पर आयकर अधिनियम की धारा 80घघख के तहत प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों के मामले में कटौती में वृद्धि की गई है। युवा पीढ़ी को अपने माता-पिता की चिकित्सीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, आयकर अधिनियम की धारा 80घ में माता-पिता अथवा कर निर्धारिती के माता-पिता के स्वास्थ्य पर प्रवृत बीमा को जारी रखने पर कटौती का प्रावधान है। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए भी ऐसी ही कटौती हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य पर बीमा को प्रारंभ करने अथवा जारी रखने के लिए किसी भी तरीके द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रीमियम बीमा के संदर्भ में उपलब्ध है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 207 के मौजूदा उपबंध निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60+वर्ष) को पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अग्रिम कर से छूट प्रदान करता है जिनके पास "व्यवसाय अथवा पेशा से लाभ एवं मुनाफा" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय नहीं हो।

*****